

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/मा-स/विविध दिवस/2018/
समस्त संस्था प्रधान

दिनांक : .09.2020

राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय ।

विषय:- दिनांक : 21 सितम्बर, 2020 से कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अनुमति प्रदान करने वाला ।

प्रसंग:- प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर का आदेशांक : प.33(2) गृह-9/2019 दिनांक : 30.08.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश द्वारा राजस्थान राज्य में लॉकडाउन/अनलॉक-4 के क्रियान्वयन हेतु जारी गाईडलाइन में अनलॉक-4 के दौरान(दिनांक : 01 सितम्बर से 30 सितम्बर- 2020) कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के विद्यालयों में कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी किए जाने के निर्देशों के क्रम में निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देश पत्र क्रमांक : कोरोना/2020/1180 दिनांक : 11.09.20 द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। प्रासंगिक शासकीय निर्देशों तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुरूप दिनांक : 21 सितम्बर, 2020 से कन्टेन्मेन्ट जोन्स से बाहर के विद्यालयों में कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावकों की सहमति उपरान्त विद्यालय जाकर अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु एतद द्वारा अग्रांकित शर्ताधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. यह निर्देश समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों हेतु समान रूप से प्रभावी होंगे।
- II. विद्यालय में पाठ्यक्रम आधारित कक्षा-शिक्षण की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन अध्ययन/स्मार्टल कार्यक्रम/शिक्षा दर्शन/शिक्षा वाणी अथवा पाठ्य पुस्तक पठन के दौरान उत्पन्न जिज्ञासा समाधान हेतु कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत जिज्ञासु विद्यार्थी अपने अभिभावकों से पूर्वानुमति के आधार पर ही विद्यालय में आने हेतु अनुमति किये जा सकेंगे।
- III. उक्त मार्गदर्शन अनुमति के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिज्ञासा समाधान/समस्या निराकरण के दौरान विद्यार्थियों के मूल्यांकन/परख संबंधी गतिविधियों का किसी भी रूप में आयोजन नहीं किया जावे।

कोई भी विद्यालय इस दौरान कक्षा शिक्षण अथवा परख/टैस्ट लेता पाया जाता है, तो उस विद्यालय/संस्था प्रधान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही/मान्यता वापसी के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने की सुनिश्चितता की जायेगी।

❖ उक्त क्रम में कक्षा 9 से 12 तक के जिज्ञासु विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शनार्थ विद्यालय खोले जाने से पूर्व एवं विद्यालय संचालन के दौरान वैशिक महामारी कोरोना की रोकथाम से संबंधित तमाम तरह की एहतियात बरतते हुए कोविड-19 से संबंधित एडवार्झर्जरी की पालना विद्यालय स्टाफ, विद्यार्थियों, अभिभावकों, आगन्तुकों के स्तर पर करवाये जाने की सुनिश्चितता करवावे एवं अग्रांकित निर्देशों की क्रियान्विति का सतत प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण प्रतिदिन आधार पर करें :-

1. विद्यार्थियों हेतु विद्यालय पुनः खोले जाने से पूर्व समस्त विद्यालयों को पूर्ण रूप से सेनेटाईज किये जाने की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाये। इस हेतु संस्था प्रधानों द्वारा स्थानीय प्रशासन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का समुचित सहयोग प्राप्त किया जाना वांछनीय है।
2. दिनांक : 21 सितम्बर, 2020 को विद्यार्थियों हेतु विद्यालय खोले जाने से पूर्व सम्पूर्ण विद्यालय परिसर की पूर्ण साफ-सफाई एवं शौचालयों/मूत्रालयों की स्वच्छता मानदण्डों के अनुरूप अच्छी प्रकार से सफाई तथा पानी की टंकियों की साफ-सफाई आवश्यक रूप से करवाई जाये। इस हेतु समग्र शिक्षा द्वारा समस्त विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली स्वच्छता अनुदान राशि का उपयोग किया जाये तथा अतिरिक्त आवश्यकता की स्थिति में एस.डी.एम.सी. की अनुमति उपरान्त विकास कोष की राशि काम में लेवें।

3. विद्यालय में शौचालय एवं मूत्रालय के समीप विद्यार्थियों द्वारा साबुन से हाथ धोने की अनिवार्यता हेतु पानी तथा साबुन की आवश्यक रूप से उपलब्धता तथा शौचालयों एवं मूत्रालयों की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्थासुनिश्चित की जावे। विद्यार्थियों के स्वारथ्य की समुचित सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को विद्यालय में शौचालय/मूत्रालय की साफ-सफाई एवं स्वच्छता सम्बन्धी क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं किया जावे।
4. मार्गदर्शनार्थ उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों को कोविड-19 से संबंधित रोकथाम एवं उपचार के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए इससे संबंधित उपायों एवं आदतों का दैनिक जीवन में आवश्यक रूप से समावेशन किए जाने हेतु सतत रूप से प्रेरित किया जावे। इस महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु उनमें मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करने के बजाय महामारी का सामना करने हेतु समुचित मानसिक सम्बल प्रदान करें तथा सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करें। विद्यार्थियों को महामारी के प्रारम्भिक लक्षणों एवं पहचान हेतु उन्हें समुचित मार्गदर्शन प्रदान करें तथा खांसने व छींकने हेतु कोहनी का प्रयोग करने जैसे सामान्य निर्देशों की जानकारी भी अन्य उपयोगी निर्देशों के साथ प्रदान करते रहें। इसी प्रकार विद्यालय परिसर में यत्र-तत्र थूकने के बजाय एक स्थान नियत कर थूकने हेतु उक्त नियत स्थान का उपयोग करने हेतु समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों को पाबन्द किया जावे।
5. विद्यार्थियों को पीने का पानी यथासंभव घर से लाने तथा पानी पीने के पात्रके पारस्परिक उपयोग से बचने हेतु पाबन्द किया जावे। घर से पानी नहीं ला पाने वाले विद्यार्थियों हेतु विद्यालय परिसर में समुचित स्वास्थ्यप्रद स्थान पर शुद्धएवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
6. विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने का समय विद्यालय संचालन समय के अनुरूप ही होगा। विद्यालय में यथासंभव आगन्तुकों का प्रवेश प्रतिबंधित/नियन्त्रित रखा जावे। विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य सामग्री यथा पुस्तक, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि का पारस्परिक विनिमय प्रतिबंधित किया जावे। विद्यालय समय एवं विद्यालय आवागमन के दौरान विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में समूह में एकत्रित नहीं होने के लिए सख्त हिदायत प्रदान करें।
7. विद्यालय में वर्तमान कक्षा-कक्षों की बैठक क्षमता को देखते हुए शिक्षक-विद्यार्थी अन्तःक्रिया के दौरान शारीरिक दूरी की सुनिश्चित पालना हेतु शिक्षक-विद्यार्थी एवं विद्यार्थियों के मध्य पारस्परिक दूरी न्यूनतम 6 फीट रखी जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
8. विद्यालय में सम्पूर्ण स्टाफ एवं विद्यार्थियों को विद्यालय में अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही आने के लिए सख्ती से पाबन्द किया जाए। बिना मास्क/फेसकवर के किसी भी आगन्तुक को विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जावे। विद्यार्थियों को प्रयुक्त मास्क की नियमित धुलाई/सफाई/बदलाव हेतु निर्देशित कर पाबन्द करें।
9. विद्यालयों में प्रार्थना सभा एवं सामूहिक खेल तथा उत्सवों के आयोजन पर अनिवार्य रूप से रोक रखी जावे। विद्यार्थियों को ऐसे खेल खेलने से स्पष्ट रूप से मना कर देवें, जिसमें पारस्परिक स्पर्श होता हो।
10. विद्यालय में किसी भी स्टाफ सदस्य अथवा उपस्थित हुए विद्यार्थी के अस्वस्थता सम्बन्धी लक्षण सामने आने या ज्वर, खांसी, जुकाम की स्थिति सामने आने पर तत्काल विद्यालय परिसर में आइसोलेट किए जाने की कार्यवाही करते हुए कोविड हेल्प-डेस्क की सेवा लेने अथवा निकटवर्ती चिकित्सा इकाई से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उपचार की कार्यवाही प्रारम्भ करवावें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सन्दर्भित दिशा-निर्देश दिनांक : 11.09.20 की प्रति सहज सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान विषम परिस्थितियों में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के दौरान विद्यार्थियों की समुचित स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु उपर्युक्त निर्देशों की सम्यक् पालना पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता के साथ की एवं करवाई जानी सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोक्त।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर गण।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को ब्लॉक क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर